RECENT RESEARCHES in SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 2, Year : 4
Jul.-Aug.-Sep. (2017), Pages : 102 - 110
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार

तीर्थ प्रकाश
असि0 प्रोफेसर 'राजनीति विज्ञान'
राजकीय महाविद्यालय
मंगलौर, जनपद–हरिद्वार

संतोष कुमार सिंह
असि0 प्रोफेसर 'राजनीति विज्ञान'
राजकीय कन्या महाविद्यालय
खानपुर, जनपद–हरिद्वार

Received : 01/07/2017 ***1st BPR*** : 03/07/2017 ***2nd BPR*** : 07/07/2017 ***Accepted*** : 10/07/2017

ABSTRACT

स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए अपरिहार्य कारक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है क्योंकि यह शेष सभी स्वतंत्रताओं की आधारशिला है। यदि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी समाज में है, तो सभी स्वतंत्रताएं न भी हुई, तो प्रकट हो जाएंगी। लेकिन यदि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो अन्य सभी स्वतंत्रताएं समाज में होंगी भी, तो शीघ्र ही लुप्त हो जाएंगी। सूचना अधिकार अधिनियम की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि आम नागरिक जागरूक, शिक्षित और सशक्त हों। आम आदमी की शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी इस अधिनियम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना आवश्यक शर्त है। इसके अलावा सम्बन्धित गैर–सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी नए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ब्लॉक और जिला अधिकारियों को गांव में जाकर आम लोगों को इन कार्यक्रमों के उद्देश्य, तौर–तरीके, होने वाले लाभ आदि से भली–भांति अवगत कराया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर अधिकारियों और प्रतिनिधियों को जनसम्पर्क के माध्यम से सभी सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करना चाहिए। यह जनजागरूकता को बढ़ाने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। मीडिया की भूमिका भी सूचना अधिकार में सहायक सिद्ध हो सकती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना गया है। मीडिया सूचनाओं के प्रवाह को और भी तीव्र, व्यापक और प्रभावी बना सकती है। जनचेतना को फैलाने के लिए मीडिया को अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मीडिया जनता में जागरूकता का प्रचार–प्रसार तथा उसमें सूचनाओं का प्रमाणिक प्रवाह सुनिश्चित कर भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब कर सकता है। इन सभी प्रयासों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी एक नवीन आयाम मिलेगा क्योंकि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की जीवन रेखा है।

की–वर्ड : स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व सूचना का अधिकार।

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए अपरिहार्य कारक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है क्योंकि यह शेष सभी स्वतंत्रताओं की आधारशिला है। यदि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी समाज में है, तो सभी स्वतंत्रताएं न भी हुई, तो प्रकट हो जाएंगी। लेकिन यदि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो अन्य सभी स्वतंत्रताएं समाज में होंगी भी, तो शीघ्र ही लुप्त हो जाएंगी। इस संदर्भ में हैमेन ने लिखा है, ''विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वक्ता से अधिक लाभ श्रोता को पहुंचाती है। श्रोता और वक्ता जैसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता के अतिक्रमण से पीड़ित रहते हैं, यदि उन्हें एक–दूसरे के विचारों तक पहुंचने से वंचित किया जाता है। यह स्वतंत्रता सत्य की खोज के लिए भी आवश्यक है।''[1] अतः विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना स्वतंत्र विचार–विमर्श और मतों का आदान–प्रदान नहीं हो सकता।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें न केवल बोला हुआ और लिखा हुआ शब्द ही सम्मिलित है, वरन् सभी प्रकार के विचारों और भावनाओं का संचार भी सम्मिलित हैं। जैसे–चित्रांकन, नाट्य–प्रदर्शन, चलचित्र और छपी हुई सामग्री आदि। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, अपने विचारों और अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रचार–प्रसार करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित हैं।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 102-110 , ISSN 2348 – 3318
तीर्थ प्रकाश एवं संतोष कुमार सिंह
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कार्य पद्धति और कार्य शैली इस प्रकार विकसित करें कि आम नागरिकों को वांछित तथ्यों की जानकारी समय पर बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सकें। यदि ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र सच्चे अर्थों में जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन विकसित नहीं हो सकेगा। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार सुशासन की मौलिक आवश्यकता है। इसके द्वारा जानकारी की सुलभता बढ़ी है। यह वह अधिकार है जिसमें सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जानकारी से पारदर्शिता आती है। देश के विकास में सूचना की उपलब्धता एवं उसके प्रचार–प्रसार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूचना के अधिकार से जनमानस की उन कमजोर आवाजों को पहचान मिली है जो शासन की लालफीताशाही में दबा दी जाती थी। अतः सूचना शक्ति हो गई है क्योंकि लोकतंत्र का आधार जवाबदेही और पारदर्शिता है, इस अधिकार के द्वारा सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जहां मानव अधिकारों को जानने–समझने तथा उसकी रक्षा करने के लिए बोलने–लिखने का अधिकार प्रदान करती हैं, वहीं सूचना का अधिकार अभिव्यक्त के लिए आवश्यक सामग्री, सूचनाएं या आधार प्रदान करता है। वस्तुतः सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाती है। लॉस्की और आइजनर के शब्दों में, ''जिन लोगों को सही और विश्वसनीय सूचनाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, उनकी आजादी असुरक्षित है। इसे आज नही तो कल समाप्त ही हो जाना है।..... 'सत्य' किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी 'थाती' होता है। जो लोग और जो संस्थाएं उसे दबाने, छिपाने का प्रयास करती हैं या उसके प्रकाश में आ जाने से डरती हैं, ध्वस्त और नष्ट हो जाना ही उनकी नियति है।''[2]

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित प्रयोग विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति पर निर्भर होता है। यदि ऐसी विश्वसनीय सूचनाएं मिलती रहे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चार विशेष उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला, यह व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक है; दूसरा, सत्य की खोज में सहायक है, तीसरा, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है और चौथा, यह स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है।

सूचना का अधिकार : उद्भव और विकास

सूचना के अधिकार को वैश्विक पटल पर एक मूलभूत मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया है। वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसके महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया था कि ''सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है और संयुक्त राष्ट्र जितनी भी स्वतंत्रता के लिए समर्पित है उन सभी के लिए यह एक महत्वपूर्ण कसौटी की तरह है।''[3]

मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा (1948) के अनुच्छेद 19 में स्पष्टतः लिखा है, ''प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। बिना किसी हस्तक्षेप के विचार निर्मित करना और व्यक्त करना इस अधिकार में सम्मिलित है। देश की सीमाओं की चिंता किए बगैर किसी भी माध्यम से सूचनाएं एवं विचार एकत्र करने, प्राप्त करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का अधिकार भी इस अधिकार में शामिल हैं।''[4] अर्थात् विश्व के राष्ट्रों का शीर्ष संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ भी यह मानता है कि सूचना के अधिकार के बगैर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है।

वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में भी सूचना की स्वतंत्रता की वकालत की गई है। इस प्रतिज्ञा पत्रका अनुच्छेद–19 (2) कहता है [5]–

(i) बिना किसी दखल के प्रत्येक व्यक्ति को विचार रखने की स्वतंत्रता होगी।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं और विचार एकत्र करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का अधिकार भी शामिल है। देश की सीमाओं को ध्यान में रखे बगैर कोई भी व्यक्ति यह काम मौखिक, लिखित या मुद्रित या किसी भी अन्य रूप में (जो उसे पसंद हो) किसी भी माध्यम के जरिए कर सकता है।

(iii) इस अनुच्छेद के पैरा 2 में दिए गए अधिकारों का उपभोग करने वालों के कुछ विशेष कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी प्रतिबंध भी होंगी। अर्थात् इस पर कुछ प्रतिबंध भी हो सकते है, जिनका कानून में स्पष्टः उल्लेख होगा। मसलन, (अ) यह अधिकार किसी के व्यक्तिगत जीवन की गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता (ब) राष्ट्रीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के मामलें इस अधिकार के दायरे से बाहर होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संगठन यूनेस्को ने वर्ष 1978 में अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, ''विचार, अभिव्यक्ति और सूचना के अधिकार को मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के अविभाज्य अंग के रूप में मान्यता प्रदान करनी होगी।''[6]

आधुनिक विश्व में सूचना के अधिकार का प्रयोग दशकों नहीं वरन् शताब्दियों से किया जा रहा है। यद्यपि यह नियमित रूप से काफी बाद में प्रकट हुआ है। स्वीडन में सर्वप्रथम वर्ष 1766 में 'फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट' पारित हुआ। इसमें लोक दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार दिया गया था। सरकारी कामकाज की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार इस कानून का हिस्सा था। यद्यपि शेष

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 102-110 , ISSN 2348 – 3318
तीर्थ प्रकाश एवं संतोष कुमार सिंह
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

देशों ने सूचना के अधिकार पर अमल काफी देर से किया। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तथा 21वीं शताब्दी की शुरूआत में अधिकांश देशों ने सूचना की स्वतंत्रता को कानून का रूप प्रदान किया। फिनलैण्ड (1951), डेनमार्क (1964), संयुक्त राज्य अमेरिका (1966), नार्वे (1970), आस्ट्रिया (1973), फ्रांस (1978), नीडरलैण्ड (1978), कनाड़ा (1977), न्यूजीलैण्ड (1982), आस्ट्रेलिया (1982), ब्रिटेन (1989), द. कोरिया (1996), आयरलैण्ड (1997), जापान (1999), द. अफ्रीका (2000), पाकिस्तान (2002), मैक्सिको (2002), भारत (2005) और चीन (2008)।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 तक केवल 95 देशों में सूचना के अधिकार को कानून के रूप में अपनाया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह आंकड़ा कोई सुखद तस्वीर पेश नहीं करता। जिन देशों में सूचना का अधिकार कानून निर्मित हुआ है उसके लिए वहां के नागरिकों को लगातार संघर्ष करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अत्रान ने सूचना की ताकत को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया था–

''सूचना की व्यापक लोकतांत्रिक शक्ति से हमें परिवर्तन और निर्धनता उन्मूलन के समस्त अवसर इतने रूपों में मिले हैं जिनकी आज हम कल्पना तक नहीं कर सकते।''[7]

सूचना का अधिकार : भारतीय परिदृश्य

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1889 में ही कार्यालय गोपनीय अधिनियम (ऑफिसल सिक्रेट्स एक्ट) बनाया गया जिसका उद्देश्य जनता तक सूचना की पहुंच थी। वर्ष 1923 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें देश की सुरक्षा, अखण्डता और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से सम्बन्धित सूचनाओं को आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक किया गया। इसका मकसद था कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की भावना आए।

किसी भी सच्चे लोकतंत्र और सुशासन के लिए यह आवश्यक है कि शासन के कार्यों में अधिकतम पारदर्शिता हो तथा नागरिकों को अधिकतम सूचनाएं आसानी से हासिल हो सकें। सूचना सम्पन्न नागरिक ही इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि उनके साधनों का प्रबन्धन करने तथा शासन का दायित्व संभालने वाले लोग वास्तव में किस हद तक सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके आधार पर ही यह तय होता है कि शासन और प्रशासन से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने जवाबदेह और नागरिकों के प्रति किस हद तक उत्तरदायी हैं।

सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के साथ सम्मलित किया गया है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) में कहा गया है कि ''प्रत्येक नागरिक को वाक् (विचार) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।''[8] इसके पीछे मूल भावना यह रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार–विमर्श करने और नागरिकों के विचारों को सामने लाने का स्वस्थ परिवेश निर्मित किया जाए। लेकिन सूचना के अभाव के कारण विचार और अभिव्यक्ति का यह अधिकार अधूरा था। जब तक नागरिकों के पास शासन–प्रशासन से जुड़ी तथ्यपरक, प्राथमिक और नवीनतम सूचनाएं नहीं होगी तब तक किसी ठोस और प्रभावी विचार–विमर्श की गुंजाइश नहीं बनती।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण वाद (1975) में कहा कि, ''सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक ढंग से किए गए किसी भी सार्वजनिक कार्य के बारे में जानने का अधिकार हर व्यक्ति को है। ऐसे कार्य की बारीक से बारीक चीजों को जानने का उसे हक है। जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़ा है। यह सही है कि यह अधिकार अमूर्त नहीं है और परिस्थिति के मुताबिक इसकी अनेक सीमाएं भी हैं लेकिन जो सूचनाएं देश की सुरक्षा को क्षतिग्रस्त न करती हों उन्हें प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है।''[9]

संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में परोक्षतः अंतनिर्हित किया गया है; जिसे उच्चतम न्यायालय ने सी.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) वाद में स्पष्ट करते हुए निम्न निर्णय दिए[10] –

(i) जिस समाज ने लोकतंत्र को एक सैद्धान्तिक आस्था के रूप में स्वीकार किया है, उस समाज के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है?

(ii) यह भूमिका जनता तभी निभा सकती है जब एक खुली सरकार अस्तित्व में हो,जहां सरकार के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने के लिए जनता की पहुंच हो।

(iii) यदि सरकार के कार्य–संचालन में गोपनीयता बरती जाएगी तथा जनता को छानबीन करने की गुंजाइश नहीं होगी तो उस स्थिति में उत्पीड़न, भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरूपयोग को बढ़ावा मिलेगा। निःसंदेह आम आदमी की निगरानी और छानबीन की सुविधा रहने पर एक स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रशासन हासिल हो सकेगा।

(iv) गोपनीयता के पर्दे से आम दैनिक कार्यों को ढंकना जनहित में नहीं होगा। सरकारी कर्मियों द्वारा अपने कार्यों को स्पष्ट करना तथा उनका औचित्य ठहराना, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध मुख्य बचाव है।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 102-110 , ISSN 2348 – 3318
तीर्थ प्रकाश एवं संतोष कुमार सिंह
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

(v) मंत्रिमण्डल के कागजात, विभागाध्यक्षों की बैठकों की कार्यवाही, सरकारी तंत्र के आंतरिक क्रियाकलाप से सम्बन्धित उच्चस्तरीय कागजात या सरकारी नीतियों के निर्धारण से सम्बन्धित कागजात का खुलासा जनहित में नहीं किया जाना है।

इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में भी सूचना के अधिकार को सशक्त बनाया है। इन निर्णयों में हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ (1960), बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1973), मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978), सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ (1995), दिनेश त्रिवेदी बनाम भारत संघ (1997), पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (2004) मुख्य हैं।

वर्ष 1977 में जनता दल के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम (1923) को संशोधित करने के लिए कार्यकारी समूह का गठन किया गया ताकि जनता तक सूचनाओं का प्रवाह सुनिश्चित हो सकें किन्तु कार्यकारी समूह ने किसी भी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया। विकास सम्बन्धी कार्यो की जानकारी जनता तक पहुंचाने का उसने सुझाव जरूर दिया लेकिन समूचे सरकारी तंत्र को पारदर्शी बनाने के सवाल कर उसकी राय बिल्कुल नकारात्मक थी। कार्यदल की रिपोर्ट पर राय लेने के लिए उसे राज्य एवं संघ–राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास भी भेजा गया। जिन राज्य सराकारों ने अपने सुझाव भेजे, उनके सरकारी गोपनीयता कानून में बदलाव को एक सिरे से अस्वीकार कर दिया गया था। अधिकांश राज्य सरकारों ने तो कार्यदल की रिपोर्ट पर राय देना उचित ही नहीं समझा। इस प्रकरण का सर्वाधिक दुखद पक्ष तो यह है कि सरकारी सूचनाओं को जनता तक पहुंचने के उपाय सुझाने जैसे कार्य के लिए बने कार्यदल की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी।

वर्ष 1990 का दशक सूचना अधिकार की दृष्टि से निर्णायक रहा। जहां एक ओर राजनीतिक दलों का रूझान इस ओर बढ़ा वहीं आम जनता भी इस अधिकार के प्रति आकर्षित हुई। इस दशक के अंत में बोफोर्स कांड और निचले स्तर तक फैले भ्रष्टाचार ने देश को झकझोर कर रख दिया। स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया कि केन्द्र से भेजा एक रूपया गाँव स्तर तक पहुंचते–पहुंचते पन्द्रह पैसे में बदल जाता है। सरकारी धन की लुट ने शासन तंत्र को खोखला कर दिया था और विकास योजनाओं में लगी जनता की मेहनत की कमाई का दुरूपयोग हो रहा था। बोफोर्स कांड के कारण वर्ष 1989 के चुनाव में कांग्रेस सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने देश में सूचना अधिकार ही आवश्यकता पर बल दिया। वी.पी. सिंह के बाद नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इन्द्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें अस्तित्व में आई। तकरीबन सभी ने अपने चुनाव घोशणा पत्र में सूचना के अधिकार का मुद्दा उठाया। कुछ पहल भी हुई लेकिन उसका का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका।

सूचना के अधिकार की प्राप्ति के लिए राजस्थान में एम.के.एस.एस. (मजदूर किसान शक्ति संगठन) द्वारा चलाया गया आंदोलन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस आंदोलन ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जिसे क्रांतिकारी एवं सराहनीय कदम कहा जा सकता है। एम.के.एस.एस. एक गैर–दलीय राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1990 को राजसमंद (राजस्थान) में की गई। इसे ही भारत में सूचना अधिकार आंदोलन की नींव रखने का श्रेय भी जाता है। एम.के.एस.एस. ने न्यूनतम मजदूरी, काम का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और सूचना अधिकार जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक कर एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया। जनता को उनके पैसे का हिसाब दिलवाने के लिए एम.के.एस.एस. द्वारा जनसुनवाईयों का आयोजन समय–समय पर किया गया। यह एक अनूठा प्रयोग था। जनसुनवाईयों के माध्यम से आम जनता ने सरकारी अधिकारियों से अपने पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। एम.के.एस.एस. द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम ने सरकारी भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। विकास कार्यों में भारी पैमाने पर अनियमितता सामने आई। मस्टर रोल में दर्ज नाम, फर्जी बिलों का भुगतान, लाखों रूपये की चारगाह भूमि कौड़ियों के भाव नीलाम करना, अधूरा निर्माण और भुगतान पूरा आदि घोटालों ने ग्रामीण विकास कार्यों की सच्चाई बयां कर दी। एम.के.एस.एस. द्वारा जनसुनवाईयों के दौरान पकड़ में आए भ्रष्ट अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन इसे सरकार से अनुमति प्रदान नहीं की गई। इस जन आंदोलन का व्यापक असर हुआ जो वर्ष 1996 के आम चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने सूचना के अधिकार को अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया और जनता से स्वच्छ और पारदर्शी शासन का वायदा किया। अंततः एक दशक के लम्बे संघर्ष के बाद वर्ष 2000 में राजस्थान के सूचना का अधिकार पारित हो गया।

वर्ष 2000 में दिल्ली में एक स्वयंसेवी संगठन 'परिवर्तन' की स्थापना की गई। परिवर्तन ने आम नागरिकों की छोटी–छोटी समस्याओं को सूचनाधिकार के दायरे में लाकर एक अनूठा प्रयोग किया। इस संगठन ने दिल्ली में अपने शुरूआती दिनों में एक आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य लोगों को आयकर विभाग से अपना आयकर रिफंड बिना रिश्वत दिए वापस लेने में मदद करना था। करदाताओं से यह निवेदन किया गया था कि वे अफसरों को रिश्वत न देकर परिवर्तन से संपर्क करें। परिवर्तन के कार्यकताओं ने जगह–जगह नुक्कड़ नाटक कर जनता को जागरूक बनाने का काम किया। परिवर्तन ने दिल्ली विद्युत बोर्ड,

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 102-110 , ISSN 2348 – 3318
तीर्थ प्रकाश एवं संतोष कुमार सिंह
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

दिल्ली नगर निगम और दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में हो रहे भ्रष्टाचारों को जनता के सामने रखा। परिवर्तन ने न केवल जनता का जागरूक किया वरन् सरकार पर भी दबाव बनाया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2001 में दिल्ली में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में आया।

सूचना के अधिकार को अमली जामा पहनाने में भारतीय प्रेस परिषद् (1995), शौरी कमेटी (1997), भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक आदेश (1999) आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिससे वर्ष 1996 में सूचना का अधिकार लागू करने की कोशिश की लेकिन यह पास न हो सका। तमिलनाडु को यह गौरव जाता है कि भारत के राज्यों में सर्वप्रथम 17 अप्रैल 1997 को सूचना अधिकार विधेयक पास किया। इसके बाद जुलाई 1997 में गोवा विधान सभा ने भी विधेयक पारित कर ऐसा दूसरा राज्य होने का गौरव पाया। इसके बाद असम (2000), दिल्ली (2001), महाराष्ट्र (2002), राजस्थान (2001), मध्य प्रदेश (2003), और जम्मू–कश्मीर (2004) ।

सूचना का अधिकार अधिनियम

मई 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार ने सत्ता संभाली। अतः कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार दिसम्बर 2004 में एक नया विधेयक 'सूचना का अधिकार' लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोक सभा में लम्बी बहस के बाद मई 2005 को 146 संशोधनों के साथ 'सूचना का अधिकार' का यह विधेयक ध्वनि मत से पास कर दिया। राज्य सभा द्वारा भी इसे अगले दिन पास कर दिया गया और महामहिम राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को अपनी सहमति दे दी। उसके बाद 21 जून 2005 को सूचना के अधिकार को भारत के गजट में अधिसूचित किया गया तथा उसे 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) लागू कर दिया। बहुप्रतिक्षित 'सूचना का अधिकार अधिनियम, (2005)' के प्रभावी हो जाने से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नए युग का सूत्रपात हुआ। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का आधार है और यह नागरिक स्वतंत्रताओं के अधिकारों में ही निहित है। यह अधिनियम इस तथ्य पर अत्यधिक बल देता है कि उनकी निर्वाचित सरकार उनके लिए क्या कर रही है एवं वह उन लोगों के प्रति उत्तरदायी है जिन्होंने उन्हें इस स्तर पर पहुंचाया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है जो आम लोगों की गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है। इस अधिकार को ऐसे ब्रह्मस्त्र की संज्ञा दी जा रही है जिसकी अचूक मारक क्षमता से न केवल भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि शासन के स्वरूप को पारदर्शिता के नए स्वरूप में ढ़ाला जा सकेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रस्तावना में कहा गया है कि ''भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक, वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है।''[11]

सूचना अधिकार अधिनियम (2005) के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं[12] –

- सूचना से किसी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों सम्बन्धी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। {धारा – 2(च)}
- अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –
  (क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल,
  (ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे या प्रतिकृति प्रति,
  (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) और
  (घ) किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। {धारा–2(झ)}
- सूचना का अधिकार से इस नियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है :–
  (i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण,
  (ii) दस्तावेज या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना,
  (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना,
  (iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना। {धारा–2(ञ)}

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 102-110 , ISSN 2348 – 3318
तीर्थ प्रकाश एवं संतोष कुमार सिंह
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

- ❖ कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए–
  (क) सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी,
  (ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई

सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। {धारा–6(1)}

- ❖ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। {धारा–6(2)}
- ❖ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा परंतु जहां मांगी गई जानकारी का सम्बन्ध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। {धारा–7(1)}
- ❖ ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की ऐसा के नीचे है, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। {धारा–7(5)}
- ❖ इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी –
  (क) सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो; या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है। {धारा–8(1)}

यहां पर यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य सरकारें, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा, राज्य सभा के सभापति, राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति आदि को सक्षम प्राधिकार की हैसियत से अपने–अपने क्षेत्रों के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली बनाने की शक्ति प्राप्त है।

- ❖ केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं। {धारा–12(1)}
- ❖ केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –
  (क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त; और
  (ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं। {धारा–12(2)}
- ❖ सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा और पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। {धारा–13(1)}
- ❖ प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं। {धारा–15(1)}
- ❖ राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –
  (क) राज्य सूचना आयुक्त; और
  (ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं। {धारा–15(2)}
- ❖ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा किन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। {धारा–16(1)}
- ❖ अगर आपको निर्धारित समय के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है या यदि उपलब्ध कराई गई सूचना देने से इंकार करने के कारण से आप असंतुष्ट है, पहली याचिका तीस दिनों के भीतर दाखिल करें। यह याचिका उस सार्वजनिक प्राधिकरण के अपीलीय प्राधिकारी के पास दाखिल करनी होती है, जिससे आपने सूचना मांगी है। {धारा–19(1)}
- ❖ यदि आप पहली याचिका के जवाब से संतुष्ट नहीं है या आपको पहली याचिका दाखिल करने के पैंतालिस दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो आप पैंतालिस दिनों की अवधि समाप्त होते ही नब्बे दिनों के भीतर, राज्य सरकार के सार्वजनिक

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 102-110 , ISSN 2348 – 3318
तीर्थ प्रकाश एवं संतोष कुमार सिंह
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

प्राधिकरण के लिए उस राज्य के राज्य सूचना आयोग से या केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग के पास दूसरी याचिका दाखिल करें। {धारा–19(3)}

- ❖ केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की निम्नलिखित शक्तियां हैं–
  (क) लोक सूचना अधिकारी न नियुक्त होने के कारण सूचना न मिल पा रही हो, उसकी शिकायत सुनना।
  (ख) जिसे मांगने पर सूचना न मिलती हो उसकी शिकायत सुनना।
  (ग) जिसे निर्धारित समय सीमा के तहत कोई उत्तर नहीं मिला हो, उसकी शिकायत सुनना।
  (घ) यदि किसी के द्वारा अधिक शुल्क लेने की शिकायत हो तो उसे सुनना।
  (ङ) यदि किसी ने शिकायत की हो कि सूचना अधूरी है या झूठी है अथवा भ्रामक हो।
  (च) इस कानून के तहत कोई अन्य शिकायत सुनना। {धारा–19(8)}
- ❖ धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं की है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जान–बूझकर गलत अपूर्ण या भ्रामक सूचना की है या वह सूचना न{ट कर दी है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25000 रूपये से अधिक नहीं होगी। {धारा–20(1)}

सूचना का अधिकार (2005) अधिनियम के क्रियान्वयन हो जाने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आम नागरिकों का विश्वास कायम हुआ है। लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में प्रत्येक स्तर पर उसकी सभी गतिविधियों को जानने का प्रयास किया है; जिससे लोगों की प्रशासन में अप्रत्यक्ष सहभागिता बढ़ी है। इसके फलस्वरूप शासन–प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसी संस्कृति विकसित हो रही है।

समीक्षा

सूचना का अधिकार मिलने के बाद से इसके कुछ सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। किसी हद तक यह कानून स्वच्छ और न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित कराने में सहायक सिद्ध हुआ हैं। चूंकि इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है, अतः इसे विकास की कुंजी माना जा सकता है। सच तो यह है कि इस रूप में सूचना क्रांति का सूत्रपात हो चुका है। अब यह अधिकार मात्र एक वैधानिक अधिकार नहीं रहा बल्कि इसने एक जनअभियान का रूप ले लिया है।

सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। एक विकसित हो रहे समाज में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और समाज में ज्ञान के अनवरत प्रवाह के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति की सूचना तक पहुंच सरल और सुलभ होनी चाहिए। समाज में विचारों के साथ–साथ सूचनाओं का भी उन्मुक्त प्रवाह होना आवश्यक है। हम जो सरकार चुन रहे है वह क्या योजनाएं बना रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और गरीबी मिटाने के लिए क्या कुछ हो रहा है यह सब जानने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। कहते हैं कि जिस समाज में नए प्रश्नों के लिए जगह नहीं होती वह समाज मृतप्रायः हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के द्वारा समाज में निम्न बदलाव देखनें को मिल रहे हैं –

- ❖ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं एवं गैर–संस्थाओं के प्रति आम नागरिकों का विश्वास कायम हुआ है।
- ❖ इस अधिनियम के बनने से सत्ता, शासन–प्रशासन के मध्य दूरी कम हुई है।
- ❖ संवैधानिक संस्थाओं और गैर संवैधानिक संस्थाओं की जनता के प्रति जवाबदेही तय हुई है और इनकी कार्यप्रणाली में पूर्व की अपेक्षा काफी बदलाव आया है; जिसके कारण पारदर्शिता जैसी संस्कृति विकसित हो रही है।
- ❖ लोगों ने जानने के अधिकार के रूप में इस अधिनियम का प्रयोग किया है, जिससे लोगों के अधिकारों में सशक्तीकरण हुआ है।
- ❖ स्वतन्त्रता के पश्चात् सत्ता एवं शासन में राज कर रहे अभिजन वर्ग के प्रभुत्व का धीरे–धीरे अंत होने लगा है।
- ❖ देश में विकास कार्यों के नाम पर अवैध धन के वितरण पर अंकुश लगा है।
- ❖ सत्ता और शासन को संचालित करने वाले लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है।
- ❖ जवाबदेही से भागते पदाधिकारियों की जिम्मेदारी का पता करने से लेकर जनहित का व्यापक नुकसान करने वालों की पहचान करने में सहायता प्राप्त हो रही है।
- ❖ इस अधिनियम के बन जाने से ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी प्रसन्न हैं क्योंकि सत्ता एवं राजनीतिक दबाव के कारण पहले वे कई बार अपनी सही राय नहीं रख पाते थे। अब उनको अवसर मिला है कि वे अपनी राय ईमानदारी से स्वतंत्रतापूर्वक रख सकते हैं।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 102-110 , ISSN 2348 – 3318
तीर्थ प्रकाश एवं संतोष कुमार सिंह
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

❖ यह अधिनियम केवल भ्रष्टाचार से लड़ने में सहयोगी साबित नहीं हो रहा है बल्कि सच्चाई को सामने लगाने के लिए भी सबसे प्रभावी उपकरण बन गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) में अनेक चुनौतियां विद्यमान है जिनका सामना आम जनता को दिन–प्रतिदिन करना पड़ता है, जो निम्न हैं –

❖ समाज में रहने वाले श्रमिक, कृषक और अशिक्षित नागरिकों में सूचना अधिकार के प्रति जागरूकता का पूर्णतः अभाव है। ये वे वर्ग हैं जो सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का सबसे अधिक शिकार होते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन वर्गों तक नहीं हो पाता है।

❖ ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा सूचना अधिकार की जानकारी अपेक्षाकृत कम लोगों में है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में महत्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना आदि महत्वाकांक्षी योजनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। हाल में कई राज्यों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी भरकम घोटाले सामने आए हैं।

❖ सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना का आवेदन देने हेतु नए साधनों, जैसे : ई–मेल या ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की जानकारी कम लोगों में हैं।

❖ सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने वाले आवेदकों को सूचना उस रूप में संतोषजनक प्राप्त नहीं हो रही है जैसा वे आशा करते हैं। लोक सूचना अधिकारी स्तर से अपूर्ण सूचना का बड़ी मात्रा में प्रेषण हो रहा है।

❖ सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों का रख–रखाव अभी तक दुरूस्त नहीं हो पाया है। अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत नहीं किया जा रहा है। अभिलेखों का लेखांकन सूचना अधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो पा रहा है, इससे सूचना अधिकार आवेदन से कार्यालयों में अफरा–तफरी का माहौल बना रहता है।

❖ सूचना अधिकार अधिनियम में आयोग जान–बूझकर सूचना न दिए जाने पर या लापरवाही पर शास्ति आरोपित कर सकते हैं किंतु यह देखने में आया है कि आयोग दण्डात्मक कार्यवाही से बचना चाहता है।

❖ एक तरफ तो सूचनाधिकारी के लिए अधिकतम 30 दिन और प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिए 45 दिन की समय–सीमा तय की गई है तो दूसरी तरफ सूचना आयुक्तों को इस दायरे में नहीं लाया गया है। इससे आम आदमी की दुश्वारियां बढ़ी हैं।

❖ सूचना अधिकार अधिनियम से जुड़ी एक समस्या यह है कि जो भी कार्यकर्त्ता सूचना मांगता है उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। देश के कई राज्यों में सूचना कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाने एवं उन्हें जान से मारने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं।

❖ सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) भी कमजोर है। इस धारा के तहत लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के यहां अपील की व्यवस्था है। चूंकि सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी एक ही विभाग के होते हैं, इसलिए उनमें सांठ–गांठ की पूरी गुंजाइश रहती है।

❖ आम नागरिकों के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम का दुरूपयोग भी हो रहा है। सरकारी विभागों में कई आवेदन ऐसे मिल रहे हैं जो निरर्थक और जान–बूझकर परेशान करने के उद्देश्य से आ रहे है। जिसके कारण विकास कार्यों में व्यवधान पड़ता है।

सूचना अधिकार अधिनियम की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि आम नागरिक जागरूक, शिक्षित और सशक्त हों। आम आदमी की शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी इस अधिनियम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना आवश्यक शर्त है। इसके अलावा सम्बन्धित गैर–सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी नए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ब्लॉक और जिला अधिकारियों को गांव में जाकर आम लोगों को इन कार्यक्रमों के उद्देश्य, तौर–तरीके, होने वाले लाभ आदि से भली–भांति अवगत कराया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर अधिकारियों और प्रतिनिधियों को जनसम्पर्क के माध्यम से सभी सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करना चाहिए। यह जनजागरूकता को बढ़ाने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। मीडिया की भूमिका भी सूचना अधिकार में सहायक सिद्ध हो सकती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना गया है। मीडिया सूचनाओं के प्रवाह को और भी तीव्र, व्यापक और प्रभावी बना सकती है। जनचेतना को फैलाने के लिए मीडिया को अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मीडिया जनता में जागरूकता का प्रचार–प्रसार तथा उसमें सूचनाओं का प्रमाणिक प्रवाह सुनिश्चित कर भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब कर सकता है। इन सभी प्रयासों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी एक नवीन आयाम मिलेगा क्योंकि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की जीवन रेखा है।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 102-110 , ISSN 2348 – 3318
तीर्थ प्रकाश एवं संतोष कुमार सिंह
International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

संदर्भ सूची

1. हैमन, फ्रेंकलिन, ''स्पीच एण्ड लॉ इन ए फ्री सोसायटी'' वर्डवुड पब्लिकेशन्स, लंदन, 1981, पृश्ठ संख्या–116
2. लॉस्की, जे.हे. और आइजनर कर्ट द्वारा उद्धत अरूण पाण्डेय, ''हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार'', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005, पृष्ठ संख्या–13
3. रत्न, विवेक, ''भारत में सूचना का अधिकार'', द्वारा उद्धत अभय प्रसाद सिंह, ''समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन'', ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ संख्या–401
4. उपाध्यक्ष जय जय राम, ''मानव अधिकार'', सैन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2011, पृष्ठ संख्या–216
5. पाण्डेय, अरूण, वही, पृष्ठ संख्या–29
6. पाण्डेय, अरूण, वही, पृष्ठ संख्या–30
7. अत्रान, कोफी, द्वारा उद्धत विष्णु राजगढ़िया और अरविंद केजरीवाल, ''सूचना का अधिकार'' राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ संख्या–29
8. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2015, पृष्ठ संख्या–14
9. शर्मा, सुभाष, ''भारत में मानवाधिकार'', नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ संख्या–125
10. शर्मा, सुभाष, वही, पृश्ठ संख्या–126
11. सूचना का अधिनियम, 2005, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ संख्या–1
12. पांडे सुची, सिंह शेखर, ''सूचना का अधिकार कानून,'' नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ संख्याः 1–6